

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-4, January 2023

www.theresearchdialogue.com



भारत में आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा देने में रोजगारपरक सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक सैद्धान्तिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० राजीव गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर

स्कूल ऑफ बिजनेस एन्ड कॉमर्स

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०)

ऋषान्त पाठक

शोधार्थी

स्कूल ऑफ बिजनेस एन्ड कॉमर्स

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०)

सारांश

आर्थिक स्वावलम्बन वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। किसी भी देश की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक वृद्धि दर या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह इस बात से भी निर्धारित होती है कि वहाँ के नागरिक कितने आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने में समर्थ हैं। आर्थिक स्वावलम्बन व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने, स्वतंत्र निर्णय लेने तथा समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने की क्षमता प्रदान करता है। विकासशील देश भारत के संदर्भ में आर्थिक स्वावलम्बन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ग्रामीण-शहरी आर्थिक असमानता तथा कौशल की कमी जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। वर्तमान समय में रोजगार की उपलब्धता, कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रमुख साधन माने जाते हैं। रोजगार व्यक्ति को नियमित आय का स्रोत प्रदान करता है, जबकि कौशल विकास उसकी कार्यक्षमता एवं रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसी प्रकार उद्यमिता व्यक्ति को स्वयं रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए प्रेरित करती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल बेरोजगारी को कम करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाकर देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना भी है। भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा

अन्य योजनाएँ रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों तथा छोटे उद्यमियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रस्तुत सैद्धान्तिक शोध-पत्र में रोजगारपरक सरकारी योजनाओं की अवधारणा, उद्देश्य, स्वरूप, कार्यप्रणाली तथा आर्थिक स्वावलम्बन में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से उपलब्ध साहित्य, सरकारी नीतियों, आर्थिक रिपोर्टों एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आधार पर किया गया है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि रोजगारपरक योजनाएँ किस प्रकार व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को विकसित करती हैं तथा समाज में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देती हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मानव पूँजी सिद्धान्त, आत्मनिर्भरता सिद्धान्त एवं सतत विकास सिद्धान्त रोजगारपरक योजनाओं की उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। मानव पूँजी सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल में निवेश करने से व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती है। इसी आधार पर कौशल विकास योजनाएँ युवाओं को रोजगार योग्य बनाने में सहायक होती हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रोजगारपरक सरकारी योजनाएँ केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मानव पूँजी विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण, महिला भागीदारी में वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य शब्द : आर्थिक स्वावलम्बन, रोजगार योजनाएँ, कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, उद्यमिता विकास, सरकारी नीतियाँ, मानव पूँजी विकास, रोजगार सृजन।

प्रस्तावना

आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होता है, परन्तु आर्थिक विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक आर्थिक अवसर, रोजगार के साधन तथा आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करना है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है, तब वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी कहलाता है। आर्थिक स्वावलम्बन व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल आय अर्जित करने की स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने एवं अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान समय में आर्थिक स्वावलम्बन वैश्विक स्तर पर विकास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुका है। विकासशील देशों में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरीबी और सीमित रोजगार अवसर प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में रोजगार की समस्या लंबे समय से एक गंभीर विषय रही है। प्रत्येक वर्ष बढ़ी संख्या में युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन पर्याप्त रोजगार अवसरों की उपलब्धता न होने के कारण बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के बीच अंतर के कारण अनेक युवा आवश्यक कौशल से वंचित रह जाते हैं। कौशल की कमी, सीमित औद्योगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में

रोजगार के अवसरों का अभाव तथा आर्थिक संसाधनों की असमान उपलब्धता आर्थिक विकास में बाधक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने रोजगारपरक योजनाओं को अपनी विकास नीतियों का महत्वपूर्ण भाग बनाया है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के अवसर तथा उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि रोजगार निर्माण एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। रोजगारपरक योजनाएँ आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी माध्यम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर ये योजनाएँ ग्रामीण पलायन को कम करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा जीवन स्तर में सुधार करने में सहायता करती हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ये योजनाएँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएँ परिवार एवं समाज में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम होती हैं। इसी प्रकार, युवाओं के लिए कौशल विकास आधारित रोजगार योजनाएँ उनकी कार्यक्षमता एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि करती हैं। प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से युवा वर्ग नौकरी खोजने वाले व्यक्ति के स्थान पर रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमी के रूप में विकसित हो सकता है। इससे नवाचार, उद्यमिता एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रोजगारपरक सरकारी योजनाएँ आर्थिक स्वावलम्बन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। ये योजनाएँ रोजगार सृजन, कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता एवं सतत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वर्तमान समय में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को सफल बनाने के लिए रोजगारपरक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-पत्र में इन्हीं योजनाओं की भूमिका का सैद्धान्तिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है।

आर्थिक स्वावलम्बन की अवधारणा

आर्थिक स्वावलम्बन आधुनिक विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका तात्पर्य व्यक्ति, परिवार या समुदाय की उस स्थिति से है, जिसमें वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है तथा अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर न्यूनतम निर्भर रहता है। आर्थिक स्वावलम्बन केवल आय प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा, निर्णय लेने की क्षमता, रोजगार के अवसर, बचत की प्रवृत्ति तथा जीवन स्तर में सुधार भी सम्मिलित होते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक स्वावलम्बन को सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास एवं स्वतंत्र जीवन का आधार माना जाता है। जब व्यक्ति के पास स्थायी आय के साधन, रोजगार की सुरक्षा एवं आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता होती है, तो वह अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से संचालित कर सकता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में आर्थिक स्वावलम्बन गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी तथा सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। आर्थिक स्वावलम्बन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं :-

- **आय की स्थिरता :** आय की स्थिरता आर्थिक स्वावलम्बन का प्रमुख आधार है। नियमित एवं पर्याप्त आय व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है तथा उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। अस्थिर आय के कारण व्यक्ति आर्थिक समस्याओं, ऋण एवं निर्भरता की स्थिति में आ सकता है। रोजगारपरक सरकारी योजनाएँ आय की स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाएँ तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएँ लोगों को नियमित आय के अवसर प्रदान करती हैं। स्थिर आय व्यक्ति में भविष्य के प्रति विश्वास उत्पन्न करती है तथा उसे बचत एवं निवेश के लिए प्रेरित करती है।
- **रोजगार सुरक्षा :** रोजगार सुरक्षा आर्थिक स्वावलम्बन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। स्थायी एवं सुरक्षित रोजगार व्यक्ति को न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि आत्मविश्वास एवं सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि करता है। रोजगार की सुरक्षा होने से व्यक्ति भविष्य की योजनाएँ बेहतर ढंग से बना सकता है और अपने परिवार की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा कर सकता है। वर्तमान समय में कौशल विकास कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार सुरक्षा बेरोजगारी, गरीबी एवं आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होती है।
- **वित्तीय स्वतंत्रता :** वित्तीय स्वतंत्रता से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपनी आय, व्यय, बचत एवं निवेश से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होता है। वित्तीय स्वतंत्रता व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है तथा उसे आर्थिक संकटों का सामना करने में सक्षम बनाती है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, वित्तीय साक्षरता, बचत की आदत एवं ऋण सुविधाएँ वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **उद्यमिता विकास :** उद्यमिता विकास आर्थिक स्वावलम्बन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उद्यमिता व्यक्ति को स्वयं रोजगार सृजन करने तथा अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता प्रदान करती है। छोटे उद्योग, स्वरोजगार एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ जैसे स्वरोजगार कार्यक्रम, कौशल विकास योजनाएँ एवं छोटे उद्यमों हेतु वित्तीय सहायता योजनाएँ उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं। उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमता एवं कौशल का उपयोग करके आर्थिक विकास में योगदान देता है।

रोजगारपरक योजनाओं की अवधारणा

रोजगारपरक योजनाएँ वे सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उनकी कार्यक्षमता एवं कौशल का विकास करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए रोजगार केवल आय प्राप्ति का साधन नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक

सुरक्षा, आत्मसम्मान, जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक विकास का आधार भी होता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में रोजगार सृजन एक प्रमुख चुनौती रही है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया है। रोजगारपरक योजनाओं का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं, ग्रामीण श्रमिकों, महिलाओं, कमजोर वर्गों एवं छोटे उद्यमियों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये योजनाएँ व्यक्ति को केवल नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनमें आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता क्षमता का विकास भी करती हैं। भारत में रोजगारपरक योजनाओं की अवधारणा मानव संसाधन विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के सिद्धान्तों पर आधारित है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को बदलते हुए श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार योजनाओं का महत्वपूर्ण भाग बनाया गया है।

रोजगारपरक योजनाओं के मुख्य उद्देश्य

- बेरोजगारी को कम करना : बेरोजगारी किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधा होती है। रोजगारपरक योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करती हैं, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी एवं पलायन में कमी आती है।
- रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना : रोजगारपरक योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार अवसरों का निर्माण करती हैं। सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास, लघु उद्योगों, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होती है।
- युवाओं में कौशल विकास करना : वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावसायिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। रोजगारपरक योजनाएँ युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएँ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करती हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना : भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास के लिए रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। रोजगारपरक योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। इससे ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधरता है तथा शहरों की ओर होने वाला अनावश्यक पलायन कम होता है।

- उद्यमिता को बढ़ावा देना : रोजगारपरक योजनाएँ केवल नौकरी प्रदान करने पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि स्वरोजगार एवं उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएँ छोटे व्यवसायों एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इससे व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने वाले से रोजगार प्रदान करने वाला बनता है।

सैद्धान्तिक आधार

प्रस्तुत शोध-पत्र “भारत में आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा देने में रोजगारपरक सरकारी योजनाओं की भूमिकारू एक सैद्धान्तिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन” का आधार विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित है। रोजगारपरक योजनाएँ केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे मानव विकास, आत्मनिर्भरता एवं सतत आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करती हैं। इस अध्ययन के लिए मुख्य रूप से “मानव पूँजी सिद्धान्त, आत्मनिर्भरता सिद्धान्त एवं सतत विकास सिद्धान्त” को आधार बनाया गया है।

- मानव पूँजी सिद्धान्त : मानव पूँजी सिद्धान्त आधुनिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक “थियोडोर डब्ल्यू. शुल्ज” एवं “गैरी एस. बेकर” हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास में किया गया निवेश व्यक्ति की कार्यक्षमता, उत्पादकता एवं आय अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार केवल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से आर्थिक विकास संभव नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन विकास का मुख्य आधार होता है। जब किसी व्यक्ति को उचित शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तो वह रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सक्षम होता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- आत्मनिर्भरता सिद्धान्त : आत्मनिर्भरता सिद्धान्त का मुख्य विचार यह है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं सक्षम बनें। यह सिद्धान्त निर्भरता को कम करने और व्यक्तिगत क्षमता, संसाधनों तथा स्थानीय अवसरों के विकास पर बल देता है। आर्थिक स्वावलम्बन इसी सिद्धान्त का प्रमुख आधार है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार या स्वरोजगार का साधन होता है, तो वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति न केवल अपने जीवन स्तर को सुधारता है बल्कि समाज एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।
- सतत विकास सिद्धान्त : सतत विकास सिद्धान्त का उद्देश्य ऐसा विकास करना है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के अवसरों को भी सुरक्षित रखा जा सके। इस सिद्धान्त में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संतुलन एवं सभी वर्गों की भागीदारी पर बल दिया जाता है। रोजगारपरक योजनाएँ सतत विकास के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष को

मजबूत करती हैं, क्योंकि रोजगार व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने, सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में सहायता करता है।

भारत में रोजगारपरक सरकारी योजनाओं का विश्लेषण

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक स्वावलम्बन की स्थापना के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। बेरोजगारी, अल्प रोजगार तथा कौशल की कमी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक रोजगारपरक योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की कार्यक्षमता, कौशल, उद्यमिता एवं आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना भी है। रोजगारपरक योजनाएँ आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रही हैं। प्रमुख योजनाओं का विश्लेषण निम्न प्रकार है:—

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई एक महत्वपूर्ण रोजगारपरक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक इच्छुक परिवार को एक निश्चित अवधि तक अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई एक प्रमुख योजना है। वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त करने के लिए केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल का होना भी आवश्यक है। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाती है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई योजना है जिसका उद्देश्य छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देकर लोगों को नौकरी खोजने वाले व्यक्ति से नौकरी देने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास करती है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। यह योजना बेरोजगार युवाओं, पारंपरिक कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित होते हैं, जिससे रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर बढ़ते हैं। **PMEGP** आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने में सहायक है क्योंकि यह लोगों को रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वयं रोजगार प्रदान करने की क्षमता विकसित करती है।

आर्थिक स्वावलम्बन में रोजगार योजनाओं की भूमिका

रोजगारपरक सरकारी योजनाएँ आर्थिक स्वावलम्बन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना भी है। भारत में रोजगार योजनाएँ रोजगार सृजन, कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

- **रोजगार सृजन :** रोजगारपरक योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना है। सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलती है। रोजगार प्राप्त होने से व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तथा वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम बनता है।
- **कौशल विकास :** आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल रोजगार उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल का होना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएँ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं की कार्यक्षमता, उत्पादकता एवं रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मानव पूँजी का विकास होता है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है।
- **गरीबी उन्मूलन :** रोजगार योजनाएँ गरीबी कम करने का प्रभावी साधन हैं। नियमित आय के स्रोत उपलब्ध होने से व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की पूर्ति बेहतर ढंग से कर सकता है। रोजगार के अवसर बढ़ने से आर्थिक असमानता कम होती है तथा समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलती है।
- **महिला सशक्तिकरण :** रोजगारपरक योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा वे परिवार एवं समाज के निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगती हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन :** आर्थिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। रोजगार प्राप्त व्यक्ति में आत्मविश्वास, सम्मान एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक समाज के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार रोजगार योजनाएँ केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समानता एवं सशक्तिकरण का आधार भी हैं।

चुनौतियाँ

- **योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी :** बहुत से लोग सरकारी रोजगार योजनाओं की जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण वे इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुँच : दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन न होने से अनेक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच अंतर : कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राप्त कौशल और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं में सामंजस्य नहीं होता, जिससे रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई आती है।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक समस्याएँ : जटिल प्रक्रियाएँ, दस्तावेजी कठिनाइयाँ, भ्रष्टाचार एवं निगरानी की कमी योजनाओं के प्रभाव को कम करती हैं।
- रोजगार की गुणवत्ता एवं स्थायित्व की समस्या : कई योजनाओं से प्राप्त रोजगार अस्थायी होता है तथा पर्याप्त आय एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्वावलम्बन प्रभावित होता है।

सुझाव

- योजनाओं की जानकारी प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाई जाए।
- कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए।
- स्वरोजगार हेतु आसान ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
- योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाए।

निष्कर्ष

- आर्थिक स्वावलम्बन का माध्यम : रोजगारपरक सरकारी योजनाएँ नागरिकों को रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- मानव पूँजी विकास में योगदान : कौशल विकास एवं प्रशिक्षण आधारित योजनाएँ व्यक्तियों की क्षमता, दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।
- उद्यमिता को बढ़ावा : स्वरोजगार एवं वित्तीय सहायता योजनाएँ युवाओं और छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं।
- सामाजिक सशक्तिकरण : रोजगार योजनाएँ महिलाओं, ग्रामीण वर्गों एवं कमजोर समुदायों को आर्थिक अवसर प्रदान कर सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं।
- राष्ट्र के विकास में योगदान : आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक देश की उत्पादकता एवं विकास दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
- भविष्य की आवश्यकता : इन योजनाओं की सफलता के लिए प्रभावी क्रियान्वयन, जन-जागरूकता, पारदर्शिता एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण को मजबूत करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली : भारत सरकार।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (2023). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली : भारत सरकार।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली : भारत सरकार।
- नीति आयोग (2023). भारत में रोजगार, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित नीतिगत रिपोर्ट, नई दिल्ली : भारत सरकार।
- भारतीय रिजर्व बैंक (2023). भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय विकास पर रिपोर्ट, मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक।
- शर्मा, आर. के. (2021). भारत में बेरोजगारी एवं रोजगार सृजन की चुनौतियाँ, नई दिल्ली : दीप एवं दीप प्रकाशन।
- सिंह, एम., एवं वर्मा, एस. (2022). आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, नई दिल्ली : आर्य प्रकाशन।
- कुमार, ए. (2021). ग्रामीण विकास एवं रोजगार योजनाएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, नई दिल्ली : कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स।

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-4, January 2023

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number-January-2023/40



Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ० राजीव गुप्ता,¹ ऋषान्त पाठक²
for publication of research paper title

भारत में आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा देने में रोजगारपरक
सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक सैद्धान्तिक एवं
विश्लेषणात्मक अध्ययन

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and
E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-04, Month January, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at www.theresearchdialogue.com